

विधानसभा आम चुनाव - 2018

इस बार विधान सभा चुनाव के दौरान प्रत्येक मतदान केन्द्र पर ईवीएम के साथ वीवीपेट मशीन का भी उपयोग किया जाएगा।

लोकतंत्र का त्योहार



इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) एवं वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) द्वारा वोट करने की प्रक्रिया



पेपर पर्ची VVPAT की पारदर्शी रिब्रडकी के माध्यम से देखी जा सकेगी। यह पर्ची मतदाता को उपलब्ध नहीं करवाई जायेगी।

1 मतदान केन्द्र में स्थित मतदान प्रकोष्ठ में प्रवेश करने के समय मतदान अधिकारी बैलेट यूनिट को मत देने के योग्य बनायेगा। ईवीएम मशीन पर हरी बत्ती जलने के पश्चात वोट डालने के लिए तैयार है।

2 ईवीएम मशीन के बैलेट यूनिट पर अंकित अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने स्थित नीले बटन को दबाये।

3 वोट डालने पर संबंधित उम्मीदवार के नाम के सामने अंकित लाल बत्ती जल जायेगी।

4 वीवीपेट मशीन पेपर पर्ची प्रिंट करेगी, जिसमें आपके द्वारा चुने गये उम्मीदवार का नाम, क्रमांक एवं चुनाव चिन्ह अंकित होगा।

मतदाता कृपया ध्यान दें
5 वह पेपर पर्ची 7 सैकण्ड के लिए दिखाई देगी, उसके बाद अपने आप कटकर प्रिन्टर के ड्रॉप-बॉक्स में चली जायेगी तथा बीप की आवाज सुनाई देगी यदि पेपर पर्ची दिखाई ना दे या बीप की आवाज सुनाई ना दे तो पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क करें।

6 यदि आप किसी भी उम्मीदवार को मत नहीं देना चाहते हैं तो अंतिम क्रमांक पर अंकित 'इनमे से कोई नहीं' (NOTA) के सामने स्थित नीले बटन को दबाये।

मतदान के समय वीवीपेट प्रदान करता है

पुष्टि

संतुष्टि

विश्वास

कॉल करें टोल फ्री नंबर
1950

प्रतिस्ठियों की जानकारी हेतु मैसेज करें
VOTERJ <Space> <EPIC No>
और 9680999899 पर भेज दें।

विभागीय वेबसाइट
www.ceorajasthan.nic.in
पर लॉग-इन करें।

ऑन लाइन विभिन्न आवेदन
पत्रों हेतु www.nvsp.in
पोर्टल पर लॉग-इन करें।

आओ मनायें लोकतंत्र का उत्सव

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान द्वारा जनहित में प्रकाशित

नोट:- राज्य के सभी जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केन्द्र पर ईवीएम-वीवीपेट का प्रायोगिक प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ-साथ जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में स्थायी रूप से स्थापित केन्द्र में भी कार्यक्रम के प्रायोगिक प्रदर्शन किया जाता है। मतदाताओं से अपील है कि इस प्रदर्शन के दौरान अपने हाथ से वोट डाल कर अपने वोट का सत्यापन करें।